

मध्यप्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय  
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13-09-2023

क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" के विभागीय एकजाई आदेश 05.06.2018 की कंडिका 3.1 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है:-

"परन्तु, भारत सरकार व राज्य शासन के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त और उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी।"

उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(डॉ. एम.आर. धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1

भोपाल दिनांक 13-09-2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बेसमेंट विन्ध्याचल भवन, भोपाल को अनुरोध है कि संशोधन अनुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें।
9. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
10. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
11. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग